कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सीहोर (म.प्र.)
Phone:07562-292337 Email: prinwpoly.seh@mp.gov.in
क्रमांक/शामपोमसी/स्थापना/2024/674 सीहोर, दिनांक 23/07/2024

विशेष भर्ती अभियान के तहत् दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति भर्ती हेतु विज्ञापन

आयुक्त, संचालनालय तकनीकी शिक्षा म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/स्था/3/बी/741/2024 भोपाल, दिनांक 10.06.2024 एवं पत्र क्रमांक/3/स्था/डी/ 2024/939 भोपाल, दिनांक 18.07.2024 के अनुपालन में दिव्यांगजनों हेतु चिन्हित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र उम्मीदवार निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुए नीचे दर्शाये गये विहित आवेदन प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित् करेंगे। शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर की बेवसाईट https://www.gwpcs.org/ एवं https://sehore.nic.in/ पर आवेदन पत्र उपलब्ध है। आवेदन पत्र संस्था में दिनांक 08.08.2024 तक कार्यालयीन समय सायं 06 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। डाक से हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि एवं समय की जानकारी निम्नलिखित है :–

क्र.	पदनाम व वेतनमान	पद की श्रेणी	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित श्रेणी का विवरण	कुल रिक्त पद	निर्धारित योग्यता	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	वॉक–इन–इंटरव्यू की तिथि
1	प्रयोगशाला तकनीशियन 5200–20200+2400 (7वें वेतनमान में लेवल–6) 9840–80500	तृतीय श्रेणी	ऑटिज्म	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मण्डल से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शाखा में कम से कम प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि	दिनांक 08/08/2024 को समय सायं 06 बजे तक	दिनांक 13/08/2024 को समय प्रातः 11 बजे से

अन्य शर्तें :–

1. निःशक्तजन की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप होगी।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. न्यूनतम 40% निःशक्तता का डिजीटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
4. आवेदक को संबंधित पद के लिये आवेदन करने हेतु अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र नेपियर टाउन, जबलपुर से विकलांगता सह उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करवाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3–11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग एवं निःशक्तजन के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

Scanned with OKEN Scanner

6. आवेदक को मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. शासकीय विभाग में कार्यरत् आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
8. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/03/2019/03/01 दिनांक 12/12/2019 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष वेतनमान का 70% द्वितीय वर्ष वेतनमान का 80% तृतीय वर्ष वेतनमान का 90% राशि स्टायफण्ड के रूप में देय होगी।
9. आरक्षित वर्ग के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
11. जिस आवेदक की 02 से अधिक जीवित संतान है, उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो, तब ऐसा आवेदक नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
12. समस्त प्रमाण पत्र की प्रतियॉ सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित कर 01 सेट में आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा तथा पासपोर्ट आकार की 02 नवीनतम फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
13. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08/08/2024 है। आवेदन कार्यालय में मय दस्तावेजों सहित नियत तिथि तक समय सायं 06 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य है।
14. वॉक–इन–इंटरव्यू की तिथि 13.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे, सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। केवल अर्हता प्राप्त एवं पात्र उम्मीदवारों का ही साक्षात्कार लिया जावेगा।
15. पूर्व में जारी किये गये निःशक्तजन प्रमाण पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
16. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर के पास सुरक्षित होंगे।

प्राचार्य
शासकीय महिला पॉलिटेक्निक
महाविद्यालय, सीहोर

Scanned with OKEN Scanner